न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 211/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/319

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
भलमती पत्नि बुधाराम जाति विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.हीरादेवी पत्नि अखाराम 2.मोहनीदेवी पत्नि हीराराम 3.मीरोदेवी पत्नि सुरजनराम 4.रूपादेवी पत्नि किशनाराम 5.शारदा पत्नि शैतानराम पुत्रवधु किशनाराम विश्नोई 6.सरस्वती पत्नि भलाराम पुत्रवधु किशनाराम विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 7.तुलछाराम पुत्र कानाराम 8.नारणा पुत्र सांवता 9.भगवानाराम पुत्र कान्या के वारिसान 9/1.रामरख पुत्र भगवानाराम 9/2.बगडुराम पुत्र भगवानाराम जाति विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर 10.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीनी
2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 6
3.विप्रार्थी संख्या 7 से 10 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 682/414 रकबा 5.0424 हैक्टेयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 682/414 रकबा 5.0424 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री सीताराम प्रजापत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से वकालतनामा मय इकबाली जबाव पेश किया गया,जो पत्रावली शामिल मिसल है। विप्रार्थी संख्या 7 से 10 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 682/414 रकबा 5.0424 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीर्नी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी गाढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 682/414 रकबा 5.0424 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी किए जाने पर आपति नही है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 682/414 रकबा 5.0424 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्रार्थीनी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नेवाई पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 682/414 रकबा 5.0424 हैक्टेयर, भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
27/10/2025

आदेश आज दिनांक 27/10/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
27/10/2025